

व्यक्ति सं० 2765 / मु०अ० (सू०प्र०स०)
दिनांक 24/8/17

हाथी संख्या 3082
पेनांक 28/8/17

प्राधिकृत संख्या-194/2017-18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-394/आई०बी०/108बी०-22ए/अनु०-94/पूँजीलेखा

लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक-00-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लेखाशीर्षक-32-बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-97-बाह्य सहायतित योजनाएं-9702-वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण-24-वृहत्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत शासनादेश सं०-137/2017/1845/17-27-सि०-4-72(डब्ल्यू)परि०/09, दिनांक-16.08.2017 एवं शुद्धि-पत्र सं० 138/2017/1845/17-27-सि०-4-72(डब्ल्यू)/09, दिनांक 16.08.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग की परियोजना द्वितीय चरण हेतु प्राविधानित धनराशि का 5/12वां भाग 12.965 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुयी है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित मुख्य अभियन्ताओं को उनके सम्मुख अंकित धनराशि (आंकड़े करोड़ रु में) प्रेषित किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	संगठन का नाम	कम्पोनेन्ट	प्रदिष्ट धनराशि
1-	रामगंगा, कानपुर	बी-1	11.23
2-	शारदा सहायक, लखनऊ	सी-2	0.585
3-	गण्डक, गोरखपुर	ए-2	1.15
	सकल योग		12.965

(रु० बारह करोड़ छियान्बे लाख पचास हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 10 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-394/(1)/आई०बी०/तददिनांक:- 21/08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उप सचिव, सिंचाई अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ गोरखपुर।

मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन)/(अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संगठन) सि० वि०, उ०प्र०, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (रामगंगा/शारदा सहायक/गण्डक) सि०वि०, उ०प्र०, कानपुर/लखनऊ/गोरखपुर को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।

वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।

अधिसासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।

प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कट फाईल।

(रमेशिद 21/08/17)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

उक्त प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग
21/08/2017

SE (ee)

मुख्य अभियन्ता
(सूचना प्रणाली संगठन)